स्वच्छ पर्यावरण   स्वस्थ जीवन

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन
Construction & Demolition Waste Management

Reduce ↔ Reuse ↔ Recycle

इन अपशिष्टों का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से युक्ति संगत सही प्रबंधन करें

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट–सदाकत आश्रम, पटना–10

दूरभाष नं०–0612-2261250/2262265, फैक्स–0612-2261050

ई.मेल–bspcb@yahoo.com, वेबसाईट–http://bspcb.bih.nic.in.

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट

(Construction & Demolition Waste)

भवन सामग्री, मलबा और रोड़ी जो निर्माण, पुन:प्रतिरूपण (remodelling), मरम्मत तथा किसी सिविल संरचना के ध्वंस से जनित होता है, को निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट कहा जाता है। ऐसे अपशिष्ट को समुचित तरीके से प्रबंधित नहीं किये जाने के कारण पर्यावरण कुप्रभावित होता है। अत: ऐसे अपशिष्ट का भी नियमानुकूल सही प्रबंधन आवश्यक है।

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016

[The Construction & Demolition Waste Management Rules, 2016]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पूर्व के नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियमावली, 2000 का अधिक्रमण करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु नयी नियमावली के रूप में **निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016** अधिसूचित किया गया है।

1. यह नियमावली प्रत्येक ऐसे व्यक्ति या संगठन या प्राधिकरण के अपशिष्ट पर लागू होता है, जो किसी सिविल ढ़ांचे के निर्माण, पुन:प्रतिरूपण, मरम्मत और विध्वंस के फलस्वरूप भवन सामग्री, मलबा और रोड़ी वाले अपशिष्ट जनन करते हैं।

2. इस नियमावली के तहत निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु, इसके उत्पन्नकर्त्ताओं, सेवा प्रदाता और उनके संवेदकों, स्थानीय प्राधिकरण, केन्द्र और राज्य सरकार से संबंधित प्राधिकरणों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित किये गये हैं।

3. **अपशिष्ट उत्पन्नकर्त्ताओं के कर्त्तव्य:-**

- प्रत्येक अपशिष्ट उत्पन्नकर्त्ता इन नियमों के अनुरूप संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा निदेशित, कंक्रीट, मिट्टी और अन्य सामग्रियों के संग्रहण, पृथक्करण और उत्पन्न हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के भंडारण के लिए उत्तरदायी हैं।

- इस अपशिष्ट के साथ कोई अन्य ठोस अपशिष्ट मिश्रित नहीं करेंगे और उसका पृथक भंडारण और निपटान करेंगे।
- एक दिन में 20 टन या इससे अधिक या एक माह में प्रति परियोजना 300 टन अपशिष्ट उत्पन्न करने वाला अपशिष्ट उत्पन्नकर्त्ता द्वारा कंक्रीट, मिट्टी, इस्पात, काष्ट तथा प्लास्टिक, ईंट और मोर्टार का पृथक्करण, निर्माण या विध्वंस या रिमोडेलिंग कार्य करने से पूर्व अपशिष्ट प्रबंधन योजना प्रस्तुत कर स्थानीय प्राधिकरण से समुचित अनुमोदन प्राप्त करना तथा इसके संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित राशि भुगतान करना।
- निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को परिसर के भीतर रखना या अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा निर्मित संग्रहण केन्द्र पर जमा करना या निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट की प्रसंस्करण सुविधा के लिए प्राधिकृत केन्द्र को सौंपना तथा यह सुनिश्चित करना कि निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के कारण यातायात या जनता या नाला बाधित नहीं हो।

4. स्थानीय निकायों एवं अन्य अधिसूचित क्षेत्रों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्वः-

- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के उचित प्रंबधन के संबंध में विस्तृत निदेश जारी करना और इसके उत्पन्नकर्त्ता से विस्तृत योजना अथवा वचनबद्धता प्राप्त करना तथा इसका अनुमोदन करना।
- सम्पूर्ण कार्यकलाप में शामिल चरणों, पद्धति तथा उपस्करों, सामग्री और निर्माण तथा विध्वंस के पूर्ण होने के पश्चात् अंतिम सफाई की रूपरेखा तैयार करना।
- अपशिष्ट के नियमित अंतराल पर संग्रहण हेतु अपने संसाधनों के माध्यम से या निजी प्रचालकों की नियुक्ति करके कन्टैनर की व्यवस्था करना तथा प्रसंस्करण एवं निस्तारण के लिए समुचित स्थलों तक भेजना।
- अपशिष्टों के उद्धारण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए उत्पन्नकर्त्ता को समुचित प्रोत्साहन देना।
- अपने क्षेत्राधिकार के अंदर निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादन की जानकारी रखना और एक डाटाबेस स्थापित करना तथा वर्ष में एक बार इसे अद्यतन करना।
- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु प्रसंस्करण सुविधा और

सर्वोत्तम संभावित रीति से पुनःचक्रण हेतु विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श लेना तथा इससे संबंधित सूचना एवं प्रचार-प्रसार की व्यवस्था अपने वेबसाइट के माध्यम से करना।

- निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट से बनी सामग्री के गैर-अवसंरचरनात्मक कंक्रीट, ब्लॉकों, सड़क के पेवमेन्ट के निचले स्तरों, कॉलोनी एवं ग्रामीण सड़कों में प्रयोग हेतु प्रोत्साहन का प्रावधान करना।

5. सेवा प्रदाता और उनके संवेदकों के कर्त्तव्यः-

- सेवा प्रदाता द्वारा उपरोक्त अपशिष्ट के पृथक्करण भंडारण, संग्रहण, पुनःउपयोग, पुनःचक्रण, परिवहन और निपटान हेतु छह माह के अंदर एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंध योजना तैयार करना।

- सेवा प्रदाता द्वारा सभी निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को हटाना तथा क्षेत्र की सफाई करना तथा स्थानीय प्राधिकरण के परामर्श से निर्धारित समय अवधि में समुचित भंडारण तथा संग्रहण हेतु व्यवस्था करना।

- जब सेवा प्रदाता उपरोक्त निर्दिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक सहायता नहीं रखते हैं, तब वे किसी प्राधिकृत अभिकरण के साथ सम्पर्क कर उसे स्थानीय निकाय द्वारा यथा अधिसूचित शुल्क अदा कर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को हटाना।

6. निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के प्रसंस्करण, पुनःचक्रण सुविधा के संचालक राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से प्राधिकार प्राप्त करने हेतु प्रपत्र-1 में आवेदन तथा प्रपत्र-2 में वार्षिक प्रतिवेदन समर्पित करना।

7. दंडात्मक व्यवस्था:-

इन नियमों का उल्लंघन पर्यावरण(संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत दिये गये दंडात्मक व्यवस्था को आकृष्ट करेगा तो ऐसे अपराधों के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 वर्षों तक का कारावास, जुर्माना के बिना अथवा अधिकतम एक लाख रूपये तक जुर्माना अथवा दोनों की सजा तक दंडनीय है।

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा मार्च, 2018 में प्रकाशित एवं
न्यू ग्राफिक प्रिंटर्स, पटना, मो.- 9334186311 द्वारा 1000 प्रतियाँ मुद्रित